47/102

I-8970/07

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 141752

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. परगना : बिजनौर
3. ग्राम : देवामऊ
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0) : भूमि खसरा संख्या–90
5. मापन की इकाई : हेक्टेअर
6. विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 0.080 हेक्टेअर
7. सम्पत्ति का प्रकार : कृषि

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 141754

8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग/कुआ/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 3,79,200/-
11.	मालियत	:	रू0 88,000/-
12.	स्टाम्प	:	रू0 38,000/-

चौहद्दी

खसरा न0 90

पूरब	: खसरा संख्या-89
पश्चिम	: खसरा संख्या-84
उत्तर	: खसरा संख्या-85
दक्षिण	: खसरा संख्या-92, 100

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 141753

प्रथम पक्ष की संख्या–02 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
(1) बजरंग पुत्र मोहन व (2) राकेश पुत्र श्रीपाल, निवासीगण –ग्राम देवामऊ परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	लक्ष्मी प्रसाद रावत पुत्र श्री मैकू लाल रावत निवासी–रतियामऊ, गोसाईगंज, लखनऊ। व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 136072

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख (1) बजरंग पुत्र मोहन व (2) राकेश पुत्र श्रीपाल, निवासीगण -ग्राम देवामऊ परगना- बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् लक्ष्मी प्रसाद रावत पुत्र श्री मैकू लाल रावत निवासी-रतियामऊ, गोसाईगंज, लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 136073

यह कि विक्रेतागण कृषि भूमि खसरा संख्या–90 रकबा 0.0800 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– देवामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, के मालिक, कामिल व काबिज हैं तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00028 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेतागण को विरासत में मिली है विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दवाव के, क्रेता को

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 136074

इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे हैं विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 141751

इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 3,79,200/- (रूपया तीन लाख उन्यासी हजार दो सौ मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 180740

उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 180741

सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 180742

इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगें।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेगें, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम देवामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निर्धारित है, चूंकि विक्रीत रकबा आबादी के निकट स्थित है अतः 25 प्रतिशत वृद्धि करते हुए रू0 13,75,000/– प्रति हेक्टेअर की दर से विक्रीत भूमि 0.080 हेक्टेअर की मालियत रू0 88,000/– होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 38,000/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

कृषि भूमि खसरा संख्या–90 रकबा 0.0800 हेक्टेअर, स्थित–ग्रॉम– देवामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेतागण ने रू0 3,79,200/– (रूपया तीन लाख उन्यासी हजार दो सौ मात्र) द्वारा चेक संख्या–595856, 595857 दिनांकित 15.10. 2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 3,79,200/– (रूपया तीन लाख उन्यासी हजार दो सौ मात्र) विक्रेतागण नें क्रेता से

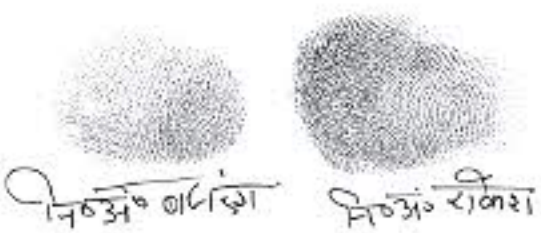

विक्रय पत्र

379,200.00/	88,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती बजरंग
पुत्र / पत्नी श्री मोहन
पेशा कृषि
निवासी स्थायी ग्राम देवामऊ प बिजनौर त जिला-लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 15/10/2007 समय 6:22PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

एच.के.पाण्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त 15/10/2007

विक्रेता

श्री/श्रीमती बजरंग
पुत्र/पत्नी श्री मोहन
पेशा कृषि
निवासी ग्राम देवामऊ प बिजनौर त जिला-लखनऊ

श्री/श्रीमती राकेश
पुत्र/पत्नी श्री श्रीपाल
पेशा कृषि
निवासी ग्राम देवामऊ प बिजनौर त जिला-लखनऊ

क्रेता

श्री/श्रीमती लक्ष्मी प्रसाद रावत
पुत्र/पत्नी श्री भैकूलाल रावत
पेशा कृषि
निवासी रतियामऊ,गोसाईगंज,लखनऊ

प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

नोटः पृष्ठ संख्या–12 पर चेक संख्या पेन से लिखी है।

लखनऊ
दिनांकः 15.10.2007
गवाह
1.

विक्रेतागण

2.

क्रेता

टाईपिस्ट

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्जर हुसैन)
एडवोकेट

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री मनोज कुमार मनोज कुमार
पुत्र श्री राम किशुन
पेशा कृषि
निवासी पहारा.लखनऊ
व श्री अमरनाथ मिश्रा
पुत्र श्री दिवाकर नाथ मिश्रा
पेशा कृषि
निवासी मदन मोहन मालवीय मार्ग,लखनऊ
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

एच.के.पाण्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
15/10/2007

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

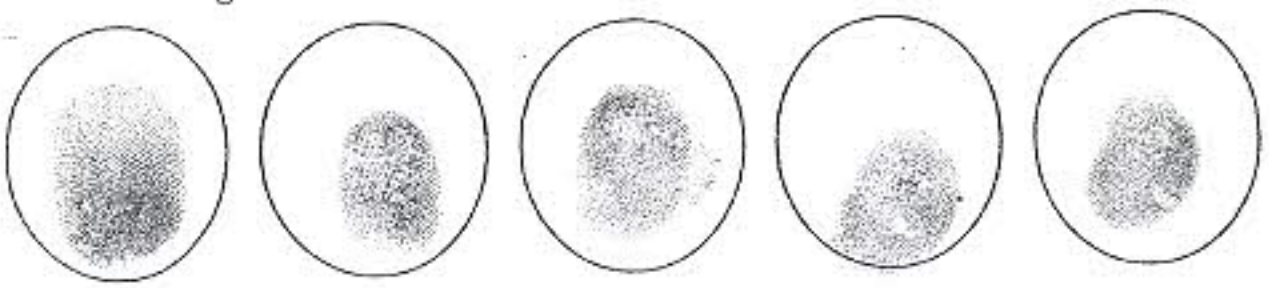

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

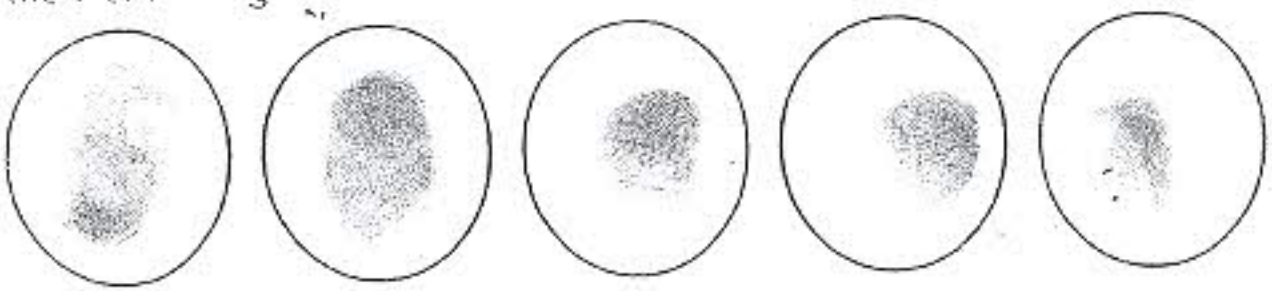

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

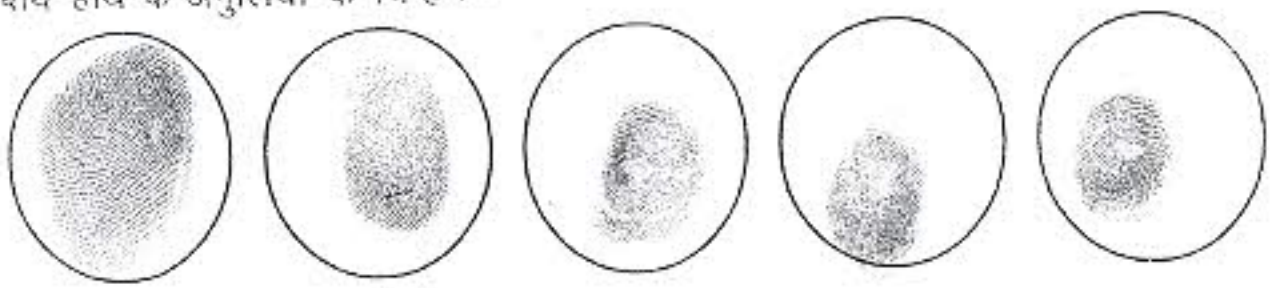

[illegible]

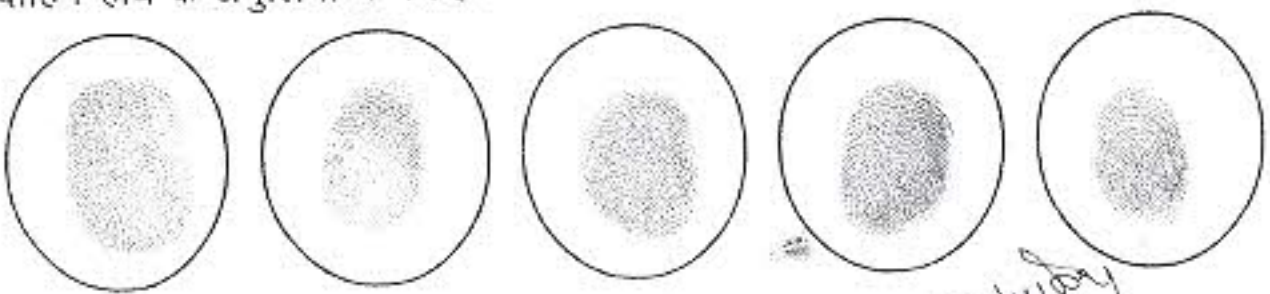

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

Registration No 8970 Year : 2007 Book No. 1

0101 बजरंग

मोहन

ग्राम देवामऊ प बिजनौर त जिला-लखनऊ

कृषि

0102 राकेश

श्रीपाल

ग्राम देवामऊ प बिजनौर त जिला-लखनऊ

कृषि

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- .....

.....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

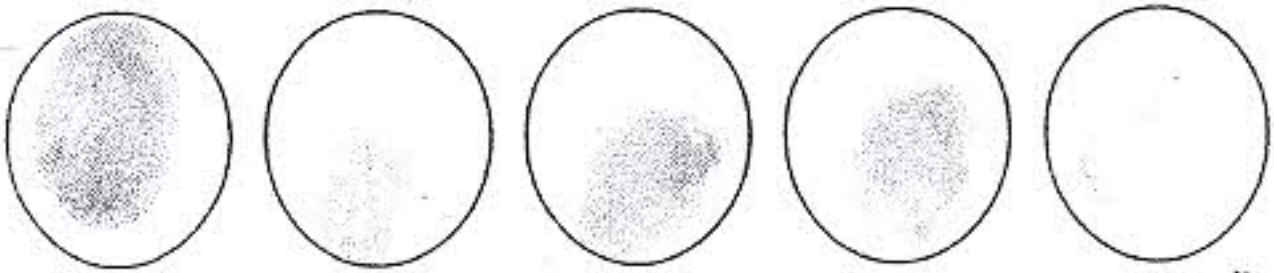

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- .....

.....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

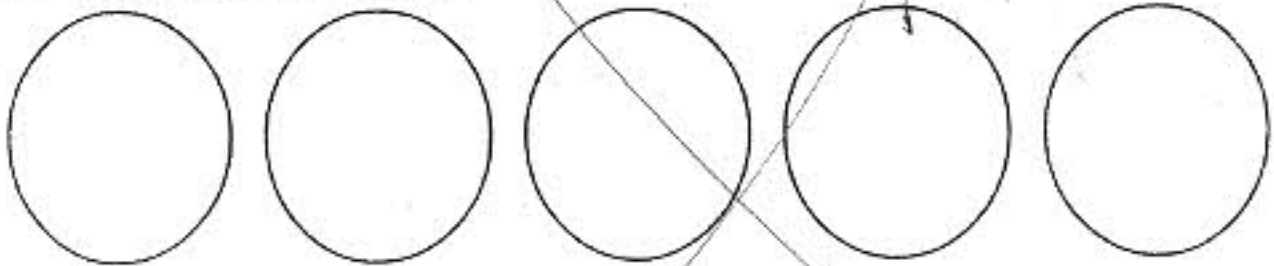

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

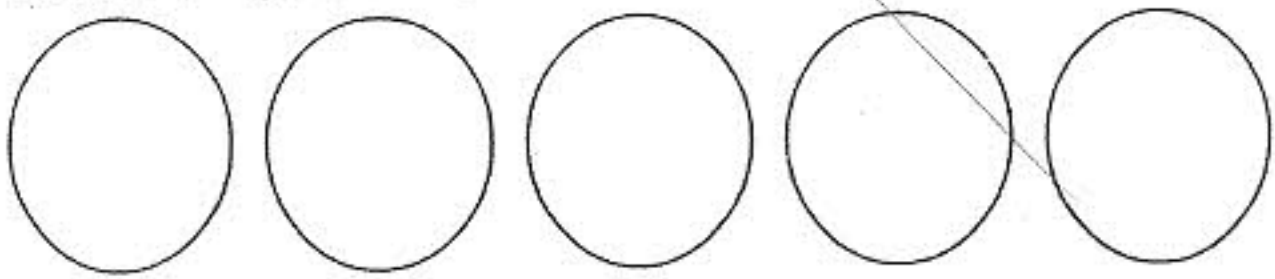

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. 8970 Year : 2007 Book No. 1

0201 लक्ष्मी प्रसाद रावत

गैकूलाल रावत

रतियामऊ,गोसाईगंज,लखनऊ

कृषि

<u>नक्शा नजरी</u>

ग्राम : देवामऊ

खसरा संख्या– ७०

विक्रेता : बजरंग आदि

क्रेता : लक्ष्मी प्रसाद शर्मा

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

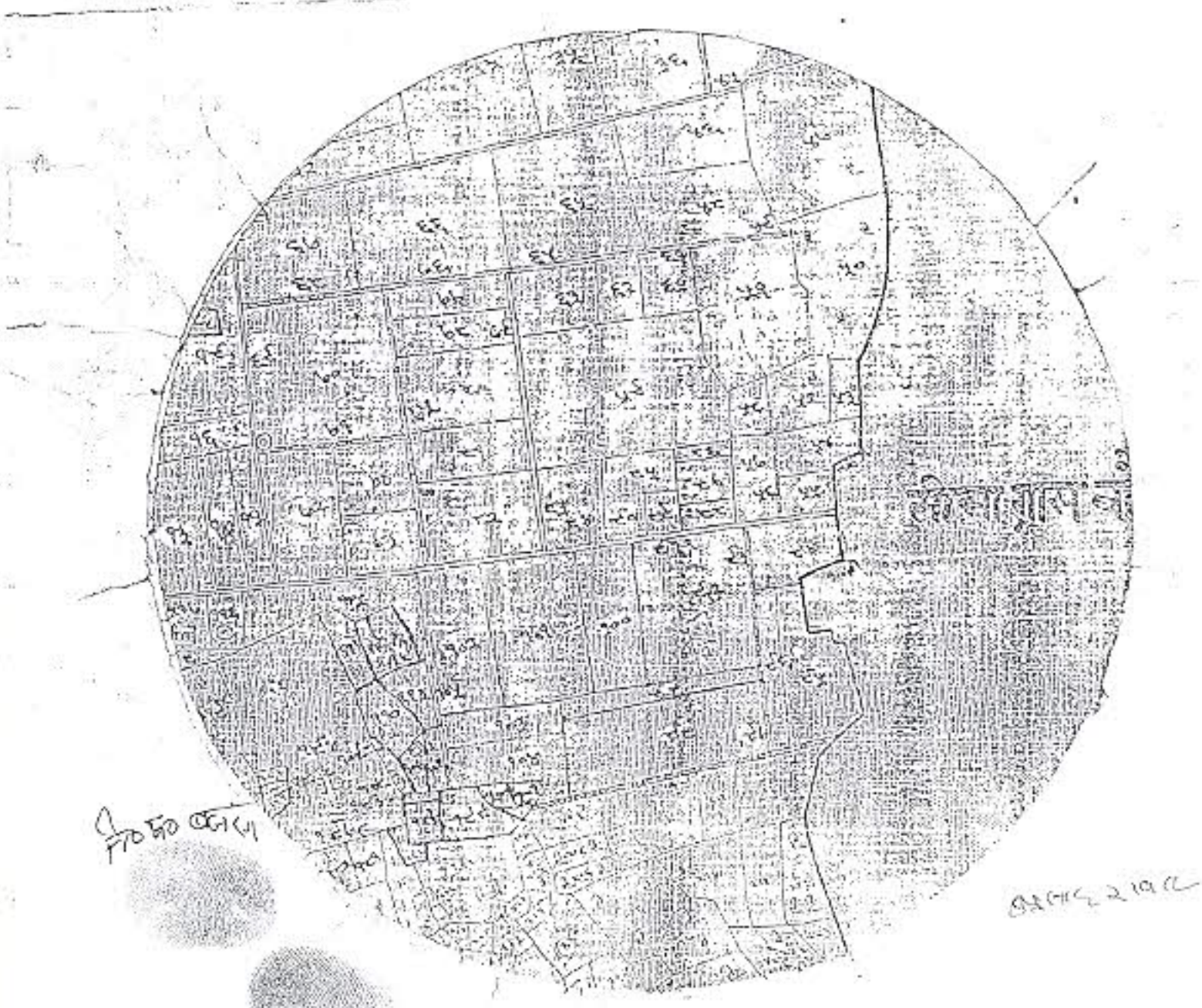

आज दिनांक **15/10/2007** को

बही सं **1** जिल्द सं **8631**

पृष्ठ सं **77** से **108** पर कमांक **8970**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एच.के.पाण्डेय

उप निवन्धक (प्रथम)

लखनऊ

15/10/2007

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 39020500395 ग्राम का नाम : देवामऊ परगना बिजनौर तहसील : लखनऊ

जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1414-1419 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00028	बजरंग राकेश	मोहन श्रीपाल	नि.ग्राम नि.ग्राम	1372फ.	90	0.0800			
					कुल गाटे : 1	कुल क्षे : 0.0800	2.05		

-5/10/2007